रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-16082024-256438 CG-DL-E-16082024-256438

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3178]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 16, 2024/श्रावण 25, 1946

No. 3178]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 16, 2024/SHRAVANA 25, 1946

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसुचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2024

का.आ. 3494(अ).— केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना अपेक्षित है कि भू-मार्ग या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या मालों के वहन के लिए परिवहन के उद्योग में लगी हुई सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 1 के अधीन आती है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा बनाई जाए:

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 5030(अ), तारीख 23 नवम्बर, 2023 द्वारा तारीख 25 नवम्बर, 2023 से छह माह की अविध के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोग उपयोगी सेवा घोषित किया है;

और उक्त घोषणा को किसी भी समय विस्तारित नहीं किया जा सकता था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में छह मास की और अवधि के लिए उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा प्रास्थिति का विस्तार किया जाना अपेक्षित है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खण्ड (ढ) के उप-खण्ड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस बात से संतुष्ट होकर कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है, भू-मार्ग या

5235 GI/2024 (1)

जलमार्ग द्वारा यात्रियों या मालों के वहन के लिए परिवहन के उद्योग में लगी हुई सेवाओं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/1/2009-आई.आर.(पी.एल.)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव,

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2024

S.O. 3494(E).— WHEREAS the Central Government is satisfied that public interest so requires that the services engaged in the industry of transport (other than railways) for the carriage of passengers or goods, by land or water, which is covered under item 1 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

AND WHEREAS the Central Government has declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 25th November, 2023 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment, number S.O. 5030(E), dated the 23rd November, 2023;

AND WHEREAS the said declaration could not be extended at any one time;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that public interest requires that the said industry is declared public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government being satisfied that public interest so requires, hereby declares the services engaged in the industry of transport (other than railways) for the carriage of passengers or goods, by land or water to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the date of publication of this notification in Official Gazette..

[F.No. S-11017 / 1 / 2009- IR(PL)] DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.